

उत्तर प्रदेश शासन  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4  
संख्या-1002/18-4-2016-27(विविध)/15टी0सी0  
लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1609/18-4-2015-27(विविध)/15 दिनांक 02 नवम्बर 2015 द्वारा उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद के क्रिया-कलापों के संचालन हेतु निम्नानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।   | अध्यक्ष    |
| 2. विभिन्न उत्पाद समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि।   | उपाध्यक्ष  |
| 3. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।  | सदस्य      |
| 4. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।   | सदस्य      |
| 5. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।   | सदस्य      |
| 6. प्रमुख सचिव, पशुधन उ0प्र0 शासन।   | सदस्य      |
| 7. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।  | सदस्य      |
| 8. सचिव, पर्यटन/परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।   | सदस्य      |
| 9. अधिशासी निदेशक, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद।  | सदस्य      |
| 10. अधिशासी निदेशक एवं सचिव, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)।  | सदस्य      |
| 11. अधिशासी निदेशक एवं सचिव, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद।  | सदस्य      |
| 12. अधिशासी निदेशक एवं सचिव, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद।  | सदस्य      |
| 13. संयोजक, पैनल कमेटी, एग्रीकल्चर एवं मीट उत्पाद समूह।  | सदस्य      |
| 14. संयोजक, पैनल कमेटी, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 15. संयोजक, पैनल कमेटी, हैण्डिक्राफ्ट उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 16. संयोजक, पैनल कमेटी, हैण्डलूमस उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 17. संयोजक, पैनल कमेटी, कारपेट एवं दरी उत्पाद समूह।  | सदस्य      |
| 18. संयोजक, पैनल कमेटी, परफ्यूमरी, फ्रेगरेन्स एवं एसेन्सियल आयल्स उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 19. संयोजक, पैनल कमेटी, फार्मास्यूटिकल एवं मेंथॉल उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 20. संयोजक, पैनल कमेटी, मार्बल स्टोन सिरेमिक्स एवं पाटरी उत्पाद समूह।  | सदस्य      |
| 21. संयोजक, पैनल कमेटी, लेदर एण्ड लेदर प्रोडक्ट्स उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 22. संयोजक, पैनल कमेटी, रेडिमेड गारमेन्ट्स उत्पाद समूह।  | सदस्य      |
| 23. संयोजक, पैनल कमेटी, स्पोर्ट्स गुड्स उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 24. संयोजक, पैनल कमेटी, इंजीनियरिंग गुड्स उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 25. संयोजक, पैनल कमेटी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद समूह।   | सदस्य      |
| 26. संयोजक, पैनल कमेटी, पर्यटन परिवहन एवं हास्पिटैलिटी सेवा समूह।  | सदस्य      |
| 27. संयोजक, पैनल कमेटी, अन्य समूह।   | सदस्य      |
| 28. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0।   | सदस्य सचिव |
| 2. उक्त समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन विभिन्न उत्पाद/सेवा समूह (ट्रेड एवं इण्डस्ट्री) के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, जिसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उत्पाद एवं सेवा हेतु गठित 15 पैनल कमेटियों के |            |

सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिनमें से एक तिहाई सदस्य (5 सदस्य) प्रत्येक वर्ष सेवा-मुक्त (रिटायर्ड) होते रहेंगे।

3-प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित की जायेगी। आवश्यकतानुसार अन्य बैठकों का भी आयोजन किया जा सकता है।

आलोक रंजन  
मुख्य सचिव।

संख्या-1002(1)/18-4-2016, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र० शासन।
6. सचिव, पर्यटन/परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. अधिशासी निदेशक, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद।
8. अधिशासी निदेशक एवं सचिव कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।
9. अधिशासी निदेशक एवं सचिव, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद।
10. अधिशासी निदेशक एवं सचिव, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद।
11. उत्पादों/सेवाओं हेतु गठित 15 पैनल कमेटी के संयोजक  
(एग्रीकल्चर एवं मीट, आई.टी एवं इलेक्ट्रानिक्स, हैण्डीक्राफ्ट, हैण्डलूमस, कारपेट एवं दरी, परफ्यूमरी, फ्रेगरेन्स एवं एसेन्सियल आयल्स, फार्मास्यूटिकल एवं मेंथॉल, मार्बल स्टोन सिरेमिक्स एवं पाटरी, लेदर एण्ड लेदर प्रोडक्ट, रेडिमेड गारमेन्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन/परिवहन एवं हास्पिटैलिटी तथा अन्य)
12. निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० लखनऊ।
13. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० कानपुर।
14. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(डॉ० रंजीश दुबे)  
प्रमुख सचिव,